

कार्यालय मुख्य/अग्निशमन अधिकारी बिजनौर

संख्या: 1/एफओएसओ (स्कूल) 2015

दिनांक 30-04-2017

विषय में

प्रस्तावक

कॉलेजोएसो मैमोरियल सेरिटेबल ट्रस्ट
हरिद्वार रोड चन्दक तहसील बिजनौर
जनपद बिजनौर ।

विषय: कॉलेजोएसो मैमोरियल सेरिटेबल ट्रस्ट हरिद्वार रोड चन्दक तहसील बिजनौर जनपद बिजनौर में लगे प्राथमिक अग्निशमन उपकरणों की कार्यशीलता सम्बन्धी प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में।
सन्दर्भ: माओ सार्वजनिक न्यायालय में योजित जनहित याचिका संख्या 483/2004 अरुनीश महरोजा बनाम यूनिफ़ॉम अण्ड इन्डिया एवं अन्य में पारित माओ न्यायालय के आदेश दिनांक 13-04-2009 के अनुपालन में प्रदेश के स्कूलों/कालेजों में अग्नि सुरक्षा व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में राधिव उद्योग शासन शिक्षा (7) अनुभाग का शासनादेश संख्या 1801/15-7-09-1(124)/2009 दिनांक 20-07-2009 के सम्बन्ध में ।


सन्दर्भ: आपका पत्रांक मीमा/2016-2017 दिनांक 10-04-2017

प्रस्तावक द्वारा आपका पत्रांक माओ सार्वजनिक न्यायालय के मुख्य अग्निशमन अधिकारी बिजनौर के द्वारा दिनांक 25-04-2014 को दिये गये आदेश संख्या सी.एच.ओ/सी.टी.ओ.आर.ओ-53/बिजनौर-07 दिनांक 25-04-2014 के द्वारा प्रस्तावक को भिन्न किया जा चुका है। जो काम में अपने प्रमाण पत्र दिनांक 10-04-2017 को प्राप्त किया गया है। प्रस्तावक द्वारा कॉलेजोएसो मैमोरियल सेरिटेबल ट्रस्ट हरिद्वार रोड चन्दक तहसील बिजनौर में लगे अग्निशमन उपकरणों की कार्यशीलता के नवीनीकरण सम्बन्धी प्रमाणपत्र प्रमाण पत्र प्राप्त किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है ।

आपका आदेश के काम में लगे प्राथमिक अग्निशमन उपकरणों की शासनादेश संख्या 1801/15-7-09-1(124)/2009 दिनांक 20-07-2009 में दिये गये निर्देशों के अनुसार हाइड्रॉनिक लेवलिंग यंत्र सार्वजनिक उपयोग में लगे कालेज परिसर में उपलब्ध फायर एक्सटिंग्यूशर की लेवलिंग के कार्याशीलता सम्बन्धी परीक्षण करा दिया गया । उपरोक्त परिसर में लगे समस्त अग्निशमन उपकरणों का निम्नलिखित दृश्य में उपलब्ध है।

अब उपरोक्तानुसार वर्तमान में उपलब्ध समस्त अग्निशमन उपकरणों को सर्वत कार्यशील रूप में लाने करने का पूर्ण दायित्व व्यवस्थापक का होगा किसी प्रकार की कमी पाये जाने पर निर्मित अग्निशमन उपकरणों की कार्यशीलता प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा ।

आपका आदेश संख्या 1/एफओएसओ मैमोरियल सेरिटेबल ट्रस्ट हरिद्वार रोड चन्दक तहसील बिजनौर जनपद बिजनौर में स्थापित अग्निशमन उपकरणों को एक वर्ष के लिये कार्याशीलता प्रमाण पत्र विहित किया जाता है ।


मुख्य/अग्निशमन/अधिकारी
बिजनौर